क्रम संख्या-87

संख्या–447/43-2-98-14(2)/43/97

प्रेषक,

श्री रवीन्द्र शंकर माथुर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 1998

विषय :—तहसील दिवस एवं किसान सेवा केन्द्र को कुशल एवं प्रभावी रूप से संचालित कराया जाना।

महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

उपर्युक्त विषयक किसान सेवा केन्द्र को पुर्नजीवित कर कुशल एवं प्रभावी रूप से संचालित करने तथा जन समस्याओं के निराकरण के लिये प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस को आयोजन करने के सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को क्रमशः शासनादेश 977/पीएसएमएस/1997, दिनांक 23 सितम्बर, 1997 तथा पत्र संख्या-896/पीएसएमएस/1997, दिनांक 25 सितम्बर, 1997 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि :–

किसान सेवा केन्द्र तथा तहसील दिवसों के कार्यक्रमों में सीधा संबंध स्थापित कर दिया जाय अर्थात् विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रार्थना पत्रों को किसान सेवा केन्द्रों पर भरवा लिया जाय और परीक्षणोपरान्त उनमें से पात्र पाये गये व्यक्तियों को अगले तहसील दिवस पर आने के लिये निर्देशित किया जाय वहा वांछित कार्यवाही सक्षम स्तर से पूर्ण करायी जाय।

2—सार्वजनिक समस्याएं जैसे जले ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन टूटी होने इत्यादि के संबंध में किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से सूचना एकत्र कर ली जाय और इस समस्याओं के निराकरण के लिये तहसील दिवस की कार्यवाही में इस सूचना को प्रयोग में लाया जाय।

3—किसान सेवा केन्द्रों और तहसील दिवसों पर जिस पंजिका में शिकायत दर्ज है उक्त पंजिका में यह भी दर्ज कर लिया जाय कि उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है ताकि आगामी सेवा केन्द्र और तहसील दिवस पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सके।

4—इन केन्द्रों पर आने वाली जनता की सुविधा के लिये हैण्ड पम्प लगाने, बैठने इत्यादि के लिये भी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाय। इसके साथ-साथ किसान सेवा केन्द्रों को जोड़ने वाले मार्गों पर संकेत इत्यादि भी लगायें जायें। इन मदों पर खर्च होने वाली धनराशि विभिन्न योजनाओं के प्रशासनिक मदों से खर्च की जाय, न कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये मिलने वाली धनराशि से।

5—पर्वतीय क्षेत्र की विषय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसान सेवा केन्द्र के संचालन में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में किसान सेवा केंन्द्रों का समय सुबह 11.00 बजे से 3.00 बजे कर दिया जाय।

कृपया इन निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,।

रवीन्द्र शंकर माथुर,

मुख्य सचिव।